

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल विविध प्रार्थना पत्र संख्या -79/2018

अन्तर्गत

एकलपीठ सिविल द्वितीय अपील संख्या -674/2003

आदेश दिनांक:-

19-04-2018

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थित:-

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :- श्री हर्ष शर्मा

अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :-

कार्यालय द्वारा आक्षेप संख्या -1 इस आशय का लगाया गया है कि अपील को पुनर्स्थापित किए जाने के लिए कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए वर्तमान प्रार्थना पत्र Proper नहीं है ।

इस संबंध में योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि वर्तमान प्रार्थना पत्र अपील के उपशमन को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है अतः इस स्थिति में अपील पुनर्स्थापित किए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

उक्त तथ्यों के प्रकाश में कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप संख्या -1 Over-rule किया जाता है ।

कार्यालय अग्रिम कार्यवाही करे ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)